सचिव परिवहन की अध्यक्षता में IDTR के परिचालन हेतु दिनांक 13.02.2018 को सचिव परिवहन के कार्यालय, बिहार, पटना में संपन्न बैठक की कार्यवाही:–

1. उपस्थिति : पंजी के अनुसार

2. **पाठ्यक्रम:**– MSIL के द्वारा IDTR औरंगाबाद में दिये जाने वाले प्रशिक्षण के संबंध में विस्तृत पाठ्यक्रम की प्रस्तुति PPT के माध्यम से की गई। पाठ्यक्रम का मूल आधार CMV Rules, 1989 का chapter (2) –Driving School and Establishment है। मारुति के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि उन्हें Driving school चलाने का Licence मिल चुका है जिसकी अनुज्ञप्ति संख्या–01/2017 है। संस्थान में प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण वाहन तथा उन्नत किस्म के सिमुलेटर (भारी वाहन एवं हल्के वाहनों के लिए) उपलब्ध हैं। MSIL के द्वारा दिल्ली के परिवहन विभाग तथा हरियाणा के परिवहन विभाग की तर्ज पर Refresher Course के लिए Mandate देने का सुझाव दिया। सहमति बनी कि पहले CMV Rules के आधार पर कोर्स को शुरू किया जाए। Refresher Course को Mandate देने के लिए अन्य राज्यों में इस विषय का अध्ययन कर तथा राज्य की आवश्यकता के आधार पर कालान्तर में इस पर विचार किया जायेगा।

3. **आवेदन प्राप्ति:**– MSIL के द्वारा बताया गया कि प्रशिक्षणार्थियों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करने की On line और मैनुअल दोनों व्यवस्थाएँ की गई है जो साथ–साथ चलेंगी।

4 **शुल्क:**– संस्थान द्वारा संचालित किये जाने वाले विभिन्न पाठ्यक्रमों के शुल्क के निर्धारण हेतु IDTR, औरंगाबाद की Governing Body की बैठक दिल्ली में दिनांक–15.12.2017 को आहूत थी। उक्त बैठक की सूचना नहीं मिलने के कारण बिहार सरकार का कोई प्रतिनिधि उक्त बैठक में भाग नहीं ले सका था। इस पर सचिव महोदय द्वारा खेद व्यक्त किया

गया तथा स्पष्ट किया गया कि बिना सभी सदस्यों को सम्यक सूचना के ऐसी बैठक का कोई औचित्य एवं कानूमी अस्तित्व नही है। तथा यह प्रथा उचित नहीं है। 15.12.2017 की GBM की बैठक में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए जो शुल्क निर्धारित किया गया था उसमें संशोधन की आवश्यकता महसूस की गई। विचारोपरांत MSIL के प्रतिनिधियों तथा बिहार सरकार के प्रतिनिधियों के बीच निम्न शुल्क संरचना पर सहमति बनी:

1. LMV– NT Learner...............................Rs 3500/-
2. LMV–T Learner...............................Rs 5500/-
3. HMV–T Learner...............................Rs 7500/-
4. LMV– NT Advance course ....Rs 2000/-
5. Refresher (LMV/HMV/Hazardous) ....Rs 400/-(one day training)
6. Training for Hazardous goods drivers...Rs 1000/-(3-days refresher training)
7. Train the trainer (Min. batch size=10)......Rs 5000/-PP

उक्त दर GST के अतिरिक्त है। यह निर्णय लिया गया कि 31 मार्च, 2019 तक उपरोक्त निर्णित शुल्क लागू रहेगा। आवश्यकता अनुसार इस पर पुनः विचार फरवरी, 2019 में किया जा सकेगा।

5 आवासन एवं भोजन पर खर्च

IDTR परिसर में प्रशिक्षणार्थियों के लिए आवासन एवं भोजन की व्यवस्था है। किन्तु यह व्यवस्था वैकल्पिक है। जो प्रशिक्षु छात्रावास में रुकेंगे उनके लिए निम्न दर प्रस्तावित की गयीः–

1. रात्रि एवं दिन का भोजन.....................Rs 125/-प्रतिदिन
2. चाय एवं स्नैक (दो बार) ....चाय–05 रुपया प्रति कप,स्नैकबाजार दर पर
3. छात्रावास में रुकने की दरः–

(क) 50 रुपये प्रतिदिन/ प्रति व्यक्ति
(ख) 250 रुपये सात दिनों के लिए
(ग) 600 रुपये 21 दिनों के लिए.
(घ) 750 रुपये 30 दिनों के लिए

6 <u>प्रशिक्षण किटः–</u>

प्रशिक्षण किट में निम्न सामग्रियां दी जायेंगी :

1. सड़क सुरक्षा से संबंधित पुस्तक
2. राइटिंग पैड
3. पेन
4. Form –14 जिसमें प्रशिक्षण का विस्तृत विवरण रहेगा।

7 <u>प्रचार–प्रसारः–</u>

IDTR, औरंगाबाद के प्रचार–प्रसार के लिए तीन प्रणाली अपनाने की बात MSIL द्वारा रखी गईः–

1. IDTR के कम्पनी स्टाफ तथा फ्लीट ऑपरेटर, सरकारी विभाग से सम्पर्क कर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी देंगे।
2. इन्टरनेट के माध्यम से IDTR, औरंगाबाद का प्रचार–प्रसार किया जायेगा।
3. Brochure के माध्यम से प्रचार–प्रसार।

सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि IDTR से संबंधित Brochure उच्च कोटि का होना चाहिए।

धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गई।

ह0/–
सचिव
परिवहन विभाग,बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–03/विविध(सिलेबस–आई.डी.टी.आर.)–10/2017 परि0/1868 पटना,दिनांक 14.3.18

प्रतिलिपिः–सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/राज्य परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/जिला पदाधिकारी औरंगाबाद/उप सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना /सचिव, आई.डी.टी.आर. औरंगाबाद/उप निदेशक आई.डी. टी.आर. औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

14/3/18
उप सचिव
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।